


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आ0संख्या-9/पद0-05-03/2006, सा0प्र0.13021/पटना-15, दिनांक. 19.9.19

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के श्री रौशन कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कार्यहित में भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद0-05-03/2006, सा0प्र0.13021/पटना-15, दिनांक. 19.9.19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/श्री रौशन कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि कार्यहित में यथाशीघ्र श्री रौशन कुमार को विरमित करने की कृपा की जाय।



सरकार के अवर सचिव।